



2026: AHC: 29119-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1536 वर्ष 2026**

रवेन्द्र एवं अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हाकिम सिंह, विनोद कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - **45**

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका 'वापस ली गई' मानकर खारिज की जाती है।

10 फरवरी, 2026 वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"